

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर निम्न अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2022-23 की रिक्ति के विरुद्ध वेतन श्रृंखला (9300-34800) ग्रेड पे- (14) रुपये 4800/- **Pay Matrix L-12 in Revised Pay Rules 2017** में कार्यभार संभालने की तिथि से पदोन्नत किया जाता है। पदोन्नति का लाभ रिक्ति की दिनांक (01.04.22) से एवं नकद लाभ उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	वर्ष	वर्ग
1.	श्री राजेन्द्र कुमार सोनी पुत्र श्री सत्यनारायण	2022-23	सामान्य
2.	श्री गुलाब चन्द करौल पुत्र श्री रिद्धनारायण	2022-23	अनुसूचित जनजाति
3.	श्री महेशचंद पुत्र श्री दामाराम	2022-23	अनुसूचित जाति
4.	श्री पदमसिंह पुत्र श्री चेताराम जाटव	2022-23	अनुसूचित जाति
5.	श्री राधा कृष्ण मीणा पुत्र श्री बंशीलाल	2022-23	अनुसूचित जनजाति
6.	श्री राजेश गर्ग पुत्र श्री बृजनन्दन	2022-23	सामान्य
7.	श्री रामगोपाल पारीक पुत्र श्री रामेश्वर लाल	2022-23	सामान्य
8.	श्री शिवशंकर पुत्र श्री रमेश दास	2022-23	सामान्य
9.	श्री देवीप्रसाद शर्मा पुत्र श्री घनश्याम	2022-23	सामान्य
10.	श्रीमति तुलसी रामचंदानी पुत्री श्री होतचंद	2022-23	सामान्य
11.	श्री बिहारीलाल पुत्र श्री छाजूराम	2022-23	सामान्य

(Signature)
31/8

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	वर्ष	वर्ग
12.	श्री रमेशचंद जोईया पुत्र श्री जगन्नाथ	2022-23	अनुसूचित जाति
13.	श्री नानूराम मडासिया पुत्र श्री पूसाराण	2022-23	अनुसूचित जाति
14.	श्री भंवरलाल पुत्र श्री मोतिलाल	2022-23	अनुसूचित जाति (सामान्य पद के विरुद्ध चयनित)
15.	श्री अरुण कुमार बोहरा पुत्र श्री सत्यनारायण	2022-23	सामान्य

इनके पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

Sd/-
(चंचल मिश्रा)
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि)।
2. अतिरिक्त निदेशक, न्याय/अभियोजन।
3. संबंधित उप/सहायक निदेशक अभियोजन।
4. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी श्री _____।
5. संबंधित संस्थापन शाखा/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

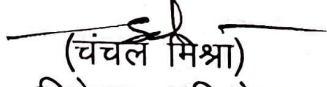
क्रमांक:- सं.27(3)(2)पदो./अभि/2022/524-50 दिनांक :- 31.08.22

:- आदेश :-

राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय, चतुर्थ श्रेणी भर्ती एवं अन्य सेवा नियम 2014 के नियम 28 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र के निम्नलिखित अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2022-23 की रिक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के पे मैट्रिक्स लेवल -12 में पदोन्नत किया जाता है:-

क्र0स0	कार्मिक का नाम	वर्ग	रिक्ति की दिनांक जिसके विरुद्ध चयन किया गया	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
01	श्री रमणलाल कलासुआ पुत्र श्री नाथाजी	एस.टी	01.04.2022	—

उपरोक्त पदोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग के पत्र क्रमांक प. 13(5) साप्र/3/2008 पार्ट दिनांक 22.08.2022 द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है। पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नत पद पर उपस्थिति की दिनांक से देय होंगे। पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।


(चंचल मिश्रा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभियोजन) राजस्थान जयपुर।
02. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित।
03. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित।
04. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन।
05. सम्बन्धित कार्मिकद्वारा:-सहायक निदेशक अभियोजन
06. निजी पत्रावली/संस्थापन मंत्रालयिक (वरिष्ठ शाखा) अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
07. रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर